भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 3
PART III—Section 3
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 1984/चैत्र 14, 1906
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 1984/CHAITRA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

प्रशासन, संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली

अधिसूचना

सिलवासा, 3 अप्रैल, 1984

सं० प्रशा०/एस.सी.एस./383/84 :—प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली निम्न मसौदे नियत नियम के बारे में धारा-24 की उप-धारा-1 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित कार्यवाई के लिये बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 की सं० 28) को गुजरात राज्य में विस्तारित किया गया था इसे अभी संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली पर भारत सरकार गृह-मंत्रालय की अधिसूचना सं० 857 (ई०) दिनांक 22-11-1983, से यथाविस्तारित किया गया एवं इसे दिये गये अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा-3 ,के तहत् प्रकाशित किया गया जिससे कि सभी व्यक्ति प्रभावित हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है कि यह नियम के मसौदे को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के बाद ही मान्य एवं स्वीकार किया जायेगा।

यदि कोई भी विरोध या सुझाव प्रशासक के सचिव, दादरा एवं नगर हवेली, ने इस नियम के मसौदे के तहत् प्राप्त किये हों तो उन्हें प्रशासक द्वारा स्वीकार किया जायेगा।]

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम: यह नियम दादरा एवं नगर हवेली के भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1984 कहलाया जायेगा।

2. परिभाषा :— इस अधिनियम में जब तक कि विषय संदर्भ से कोई बात असंगत न हो।

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 जो गुजरात राज्य में प्रवृत्त था वो ही संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में भी विस्तारित होगा।

(ख) "फार्म" से अभिप्रेत है जो फार्म के साथ संलग्न है।

(ग) "अधिनियम" में शब्द को अभिव्यक्त या इस्तेमाल करने के लिये और न ही परिभाषित करने के लिये अथवा वहाँ से इस नियम का यही मतलब निकलता है कि इसे नियत रूप से दादरा एवं नगर हवेली भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का सं०-2) होना चाहिए।

3. नोटिस का प्रकाशन इस योजना की धारा-5 (2) के अन्तर्गत :—इस नियम में एक साथ-साथ योजना के प्रकाशन के अन्तर्गत धारा-5 की उप-धारा-2 के तहत् कोई एक फार्म सं-1 में नोटिस अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में

जारी करेगा जो उस योजना से सम्बन्धित प्रकाशन से सभी व्यक्ति प्रभावित हों। अतः नोटिस की प्रतियों को कलैक्टर एवं मामलतदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं गांवों के मशहूर स्थानों पर या जो गांव इस योजना से काफी प्रभावित होते हों वहां पर लगायेगा।

4. योजना की धारा 9 (2) के प्रकाशन करने की नीति:—योजना की स्वीकृति धारा-9 की उप-धारा (1) के अधिनियम के तहत प्राप्त है। बोर्ड सरकारी राजपत्र में अथवा यहां के स्थानीय अखबार में इसे प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति यह निश्चित करके नोटिस बोर्ड के फार्म संख्या-2 में यहां की प्रदेशिका भाषा या अंग्रेजी में या गुजराती में कलैक्टर एवं मामलतदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगायेगा अतः गांवों के मशहूर स्थानों पर या जो गांव इस योजना से प्रभावित होते हों लगायेगा।

5. धारा-13 के अन्तर्गत रिकार्ड में पंजीकरण करना और उसकी सूची तैयार करना आदि:—(1) इस अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (1) के अधीन फार्म सं०-3 में सूची तैयार करना अथवा जो कि क्षेत्र की भाषा गुजराती में तैयार करना आवश्यक होगा। और इस सूची की तीन प्रतियां उप-मण्डलीय भूमि संरक्षण अधिकारी एवं मामलतदार को जितना भी जल्दी हो उन्हें प्रतिवर्ष 1 अप्रैल के दिन से पहले ही भेजी जानी चाहिए।

(2) मामलतदार सूची की प्रतियां प्राप्त करने के बाद उसकी एक ही प्रति अपने पास रखेगा और बाकी दो प्रतियां संबंधित गांव के पाटेलतलाटी को भेज देगा।

(3) पाटेलतलाटी प्रत्येक पत्राचार का पंजीकरण अपने रजिस्टर में आवश्यक रूप से फार्म सं० 6 में करेगा।

(4) दाखिलखार्ज के रजिस्टर में पंजीकरण के बाद यह प्रमाणित करना जरूरी समझा गया कि धारा-143 के अधीन दादरा एवं नगर हवेली का भूमि राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 है, और तलाटी इंदराज को बदलकर शुरू से लेकर आखिरी कॉलम तक रिकार्ड में चढ़ायेगा।

(5) पाटेलतलाटी कॉलम 13 को भरकर फार्म-3 में सूची तैयार करके उसकी एक प्रति प्रभागीय भूमि-संरक्षण अधिकारी एवं मामलतदार के द्वारा ही वापिस करेगा।

5. परिवर्तन की हुई सूची का धारा-13 के अधीन तैयार करना:—जब रिकार्ड में ऐन्ट्री ठीक है तो भूमि की भाग्यधारी का लेखा हिसाब बदल कर पत्राचार की कार्यावाही को मामलतदार बदल कर जारी रख सकता है जिसे वह अपने हस्ताक्षर सहित कॉलम-2 में फार्म-3 में सूची को तैयार करके धारा-13 के अधीन जिसे कि वो नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त करता हो।

6. नोटिस का पंजीकरण धारा-16 के अन्तर्गत जो कि भूमि से सम्बन्धित हैं:—(1) नोटिस वो व्यक्ति दे सकता है जिसे कि बोर्ड या कलैक्टर द्वारा प्राधिकृत किया गया है अतः इस अधिनियम की धारा-16 के अधीन फार्म-4 में इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा गुजराती में जो इससे सम्बन्धित है उसमें दे सकता है।

(2) नोटिस उस भूमि-मालिक को दिया जाये जिसने उस भूमि पर कब्जा कर रखा हो अतः जो व्यक्ति इससे रूचि रखता हो या सम्बन्धित हो।

(अ) वैयक्तिक रूप द्वारा या परिचारक रूप में उसे देना।

(ब) उसके एजेन्ट द्वारा यदि कोई वितरण या किसी तरह से एजेन्ट को दिया गया हो।

(स) कुछ एतकृष्ठ स्थानों पर जो भूमि से संबंधित हैं वहां पर एक प्रति चिपकाना या

(ज) पत्र द्वारा या डाक द्वारा।

7(1) किराये की वृद्धि को धारा-18 में निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत बढ़ाया गया है:—

किसी भी भूमि-मालिक को जिसे योजना के किसी भी क्षेत्र में शामिल किया गया हो जहां पर "किराया किरायेदार" द्वारा समय-समय पर नियंत्रित किया जाता हो उसे तीन वर्ष के बाद ही प्रवृत माना जायेगा। जिस दिन से इसे धारा 10 के अधिनियम के अधीन योजना शरू किया गया है उस समय से ही किरायेदार से उस भूमि पेका किराया सही रसीद के सहित 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं ले सकता है। यह किराया उस योजना के प्रवृत होने की तारीख से देय माना जायेगा।

(2) यदि सही स्वामी किराया 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो वह लिखित रूप में सीधे "प्रशासक" को आवेदन पत्र कर सकता है।

(3) "प्रशासक" कोई भी आवेदन पत्र तभी अग्रेशित कर सकता है जो कि उप-नियम, 2 के अन्तर्गत कलैक्टर एवं मामलतदार के द्वारा भेजे गये हों या प्राप्त किया हो अतः जो उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हो। जिस स्थान पर भूमि का किराया बढ़ाया गया हो या लिया जाता हो अतः कृषि में से कितना लाभ लिया जाता है और योजना के अधीन वहां पर कितना कार्य किया जा रहा है उसकी जांच की रिपोर्ट देनी होगी।

(4) उप-नियम, 3 के अधीन आवेदन पत्र की पावती मामलतदार के द्वारा तब दी जायेगी जब कि पटेधारी उस भूमि पर कब्जा रखे हुये हो उसे चैपटर 12 के उपबन्ध में "दादरा एवं नगर हवेली" भूमि राजस्व प्रशासन विनियम 1971 के अधीन जांच शरू करवाकर उसकी रिपोर्ट कलैक्टर के द्वारा "प्रशासक" को भेजी जाये।

(5) उप-नियम 4 के अन्तर्गत रिपोर्ट की पावती पर "प्रशासक" किराये की निर्धारित वृद्धि का विस्तार करने के लिये आवेदक को अनुमति के बारे में अपना निर्णय सूचित करेगा।

8. किसी भी प्रकार से दस्तावेज योजना एवं नक्शे जो कि इस योजना से सम्बन्धित हैं जिन्हें कि धारा-19 के अन्तर्गत लोगों में अभिग्राम्य कराना है। दस्तावेज योजना एवं नक्शे जो कि योजना से सम्बन्धित हैं जिन्हें प्रवृत किया गया है अतः उनकी जांच करने पर मामलतदार के कार्यालय पर या महालखारी से सम्बन्धित कार्यालय समय में किसी भी समय प्रकाशित करना है और जिनकी प्रमाणित प्रतियां शुल्क के रूप में वितरित की जायेंगी और प्रमाणित प्रति दिये गये चैपटर 16 दादरा एवं नगर हवेली भूमि-राजस्व प्रशासन विनियम, 1972 के अधीन दी जायेंगी।

9. इस योजना को धारा-25 ए० के अन्तर्गत प्रकाशित करने का तरीका :—योजना की धारा-25 ए० की उप-धारा (3) के अधिनियम के अन्तर्गत पारित करके बोर्ड फिर इसे सरकारी राजपत्र एवं यहां की स्थानीय अखबार में प्रकाशित करता है। अतः यह तय किया गया कि किसी भी एक भाषा में प्रकाशित करना है। अतः यह तय किया गया कि किसी भी एक भाषा में जो यहां की प्रादेशिक भाषा जैसे अंग्रेजी एवं गुजराती आदि जिस भाषा में योजना का संचालन किया जा रहा है उसे फार्म-5 सहित नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाये। जहां पर जो गांव दूर-दूर स्थानों पर पाये जाते हैं उन स्थानों तक पहुंचाया जाये। जहां पर जो गांव इस योजना के अन्तर्गत काफी प्रभावित हैं।

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा विस्तारित" बम्बई भूमि-सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 का बम्बई अधिनियम स०-28) जैसा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया है :—

फार्म सं०-1

(देखें नियम-3)

मसौदा योजना के प्रकाशन का नोटिस

इस योजना के अनुसार नोटिस को धारा-4 में बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 के अधीन व्यवस्था रख कर तैयार करके प्रकाशित किया गया था जैसा कि वह गुजरात राज्य में विस्तारित किया गया था वैसे ही संघ शासित प्रदेश पर यथा विस्तारित किया गया है।

प्रबंध करना :—

नीचे दर्शाई गई भूमि जो कि गांव एवं तालूका/पथ में स्थिति ..... जिला में पाई गई है।

सर्वे स० एवं भूमि का अगला वर्णात्मक रूप	किस तरह का कार्य चलाया जाता है।

सभी व्यक्ति जो इस योजना द्वारा प्रभावित हैं वो किसी भी दावे पर इस योजना के अधीन किसी को यदि कोई आपत्ति है तो वो लिखित रूप से या खुद हाजिर हो कर पहले ही भूमि सहायक ..... जिसे कि जाँच अधिकारी के रूप में इस योजना के लिये और पहले ..... नियुक्त किया गया हो।

दिनांक ..... दिन ..... 19 .....

हस्ताक्षर

बोर्ड के सचिव

योजना का वर्णन :—

भारत के सरकारी राजपत्र में इस योजना के प्रकाशित होने की तारीख के 21 दिन से कम नहीं होनी चाहिये।

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा-विस्तारित" बम्बई भूमि-सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 का बम्बई अधिनियम सं० 28) जैसा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया था :—

फार्म सं० 2

(देखें नियम-4)

इस योजना का नोटिस में प्रकाशन

इस योजना के अधीन किये गये प्रबंध के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि नीचे दर्शाई गई भूमि जो गाँव ..... तालुका/पथ ..... जिला के स्थिति पाई गई है। उसे जिला के बराबर बोर्ड "प्रशासक" द्वारा धारा-9 की उप-धारा (1) में बम्बई भूमि-सुधार योजना अधिनियम, 1942 के अधीन मंजूरी दे दी गई है जैसे कि वह गुजरात राज्य में भी विस्तारित किया गया था वैसे ही इसे संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली में विस्तारित किया गया है। बोर्ड ने ..... जो नियुक्त किया है वो इस योजना के अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन दादरा एवं नगर हवेली के लिये कार्य करेगा।

बोर्ड सचिव

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा-विस्तारित" बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 का बम्बई अधिनियम सं० 28) जैसे कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया है :—

फार्म सं० 3

(देखें नियम-5)

क्रम संख्या

	रुपये	पैसे
जितनी राशि वसूल की है—	.....	
कुल वार्षिक किश्त —	.....	

कुल जितना कार्य किया गया है ....
गाँव
ताल्लुका एवं पथ
जिला

क्र० सं०	सर्वे सं० उप-मण्डल सं०	एवं–क्षेत्र–निर्धारित–किस किस्म का कार्य किया				
				बाँध की–सं०	खाई की–सं०	बन्धार की सं०
1	2	3	4	5	6	7

स्वामी से कुल-जितनी राशि वसूल की है।	सर्वे का समय	कौन से वर्ष वसूली शुरू की गई थी।	वार्षिक किस्त	व्यक्ति या व्यक्ति से संम्बंध रखते हुये अपने पूरे अधूरे कार्य को अलग से भी या इकठे-पन से भी पूरा किया जा सकता है।
8	9	10	11	12

नामांकण रजिस्ट्री में क्रम ०सं बार गाँव के फार्म सं० 4 में पंजीकरण प्रमाण पत्र में पंजीकरण की तारीख	विवरण
13	14

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा-विस्तारित" बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 का बम्बई अधिनियम सं० 28) जैसा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया है :—

फार्म संख्या 4

[देखें नियम-6 (1)]

किस फार्म में नोटिस का पंजीकरण किया जाये जिसके अनुसार स्वामी को भूमि दी जाये :—

म ....

दखलदार ....धारा-16 के अधीन भूमि ....

..................दूसरे व्यक्ति जो इससे राजमंद हों..

....

प्रति,

ए०वी०इंजिनियर,

स्वामी को ....

दखलदारी को ....

जयदात ....

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा-विस्तारित" बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942 (1942 का बम्बई अधिनियम सं०-28) जैसा कि वह गुजरात राज्य में विस्तारित किया गया था :—

स्थायी किरायेदार ....

या और कोई व्यक्ति ....

जो रजमान्द हो ....

सर्वे संख्या ....
हिस्सा संख्या ....
सी० टी० एस० सं० ....
गोथान प्लाट सं० ....
गाँव से ....तालुका एवं पथ ....
जिला ....को नोटिस जारी किया जाता है कि मैं ....
मुझे पूरी तरह धारा-16 एवं बम्बई भूमि-सुधार योजना अधिनियम, 1942 के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है।

द्वारा. धारा–3 के अन्तर्गत बोर्ड गठित किया जाता है जिसमें कलैक्टर को .... पद ग्रहण करने के बाद उपर्युक्त दी गई भूमि पर अधिनियम के अन्तर्गत उसके कार्य को सुधारना एवं निर्वाह करना अतः कार्यकारी योजनाओं को मंजूर व तैयार करके आवश्यक रूप से भूमि पर सर्वे सं० दर्शाना आदि का कार्य करवाना है।

सर्वे सं० ....
हिस्सा सं० ....
सी०टी०एस०सं० ....
प्लाट सं० ....
इस प्रयोजना के लिये ....पर
....................दिन से ....19को वा
तारीख के वा

धारा, 16 में इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति "कलैक्टर है"

"दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश पर यथा-विस्तारित" बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम, 1942

(1942 का बम्बई अधिनियम संख्या-28) जैसा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया था।

फार्म सं० 5

(देखें नियम 9)

इस योजना की धारा-25 ए० (3) के अन्तर्गत नोटिस का प्रकाशन किया जाये।

योजना के लिये दी गई भूमि जो नीचे दर्शाई गई अतः जो गांव.....ताल्लुका/पथ..... जिला.....में स्थित पाई गई हैं उसमें नोटिस दिया जाता है कि बम्बई भूमि सुधार योजना अधिनियम 1942 की धारा 25 ए की उप-धारा-3 के अन्तर्गत बोर्ड ने इसे पास कर दिया है अतः यह नोटिस प्रकाशन होने की तारीख से ही इस गांव में प्रवृत्त होगा।

इस अधिनियम की धारा-25 ए की उप-धारा-3 को पढ़ते हुये धारा, 11 की उप-धारा (1) के अधीन कार्यकारी कार्य करने के लिये.....बोर्ड नियुक्त किया है।

क्रम सं०	सर्वे संख्या एवं भूमि की वर्णात्मक किस्में	जहां पर कार्य किया जाना है
1	2	3

स्थान

तारीख..... के दिन.....19...

बोर्ड सचिव

यहां पर वर्णात्मक योजनायें दी गई है क्या उन्हें सुरक्षित एवं सुधारा जा सकता है। भूमि की मिट्टी को सुधार करके किसी भी तरह उसे इस्तेमाल में लाना है और कोई भी सुनिश्चित कार्य को धारा-4 (1) में सूचित करना है।

प्रशासक के आदेशानुसार

एस० एस० कोलवेकर, प्रशासक के सचिव

ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI. (U.T.)

NOTIFICATION

Silvassa, the 3rd April, 1984

No. ADM/SCS/383/84.—The following draft of certain rules which the Administrator, Dadra and Nagar Haveli proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Bombay Land Improvement Scheme Act, 1942, (No. 28 of 1942), in force in the State of Gujarat and extended to the UT of Dadra and Nagar Haveli vide Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 857(E) dt. 22-11-83, is published as required by sub-section (3) of Section 24 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

Any objections or suggestions, which received by the Secretary to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli, at Silvassa with respect to the said draft, will be considered by the Administrator.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Dadra and Nagar Haveli Land Improvement Scheme Rules, 1984.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) 'Act' means the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 as in force in the State of Gujarat and extended to Dadra and Nagar Haveli.

(b) 'Form' means a form appended to these rules.

(c) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration, Regulation, 1971, (No. 2 of 1971).

3. Notice of publication of scheme under section 5 (2).—Simultaneously with the publication of a scheme under sub-section (2) of section 5 of the Act, the Board shall give a notice in Form No.1 in English as well as in Gujarati, of the publication of the scheme to all persons affected thereby. The Notice shall be given by affixing a copy thereof on the notice board in the office of the Collector and of the Mamlatdar concerned and at conspicuous places in the village or villages, affected by the scheme.

4. Manner of publication of scheme under section (9) 2.—On a scheme being sanctioned under sub-section (1) of section 9 of the Act, the Board shall publish it in the Official Gazette and in such local newspapers, if any, as it may decide and by affixing notices in Form II in English as well as in Gujarati on the notice boards in the offices of the Collector and of the Mamlatdar and at conspicuous places in the village or villages, affected by the scheme.

5. Preparation of statement and entries in record of rights under section 13.—(1) The statement under sub-section (1) of section 13 of the Act shall be in Form III and prepared in Gujarati language. It shall be sent in triplicate by the Soil Conservation Officer to the Mamlatdar as soon as possible after the 1st day of April in each year.

(2) On receipt of the statement, the Mamlatdar shall retain one copy and shall forward the other two copies to the talathi of the village concerned.

(3) The talathi shall make the necessary entries in the mutation register (Village Form VI) corresponding to each entry in the statement.

(4) After the entry in the mutation register is certified as required by section 143 of Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, the talathi shall transfer the entry to the record of rights under the column 'other rights'.

5. Alteration of statement prepared under section 13.— in Form III and return one of the copies to the Soil Conservation Officer through the Mamlatdar.

5. Alteration of statement prepared under section 13.— when the entries in record of rights are altered on account of change of ownership of land, corresponding changes shall be carried out by the Mamlatdar under his signature in column II of the statement in Form III prepared under section 13 and received by him under rule 5.

6. (1) Notice of entry upon land under section 16.—The notice to be given by a person authorised by the Board or the Collector under section 16 of the Act shall be in Form IV and in Gujarati language.

(2) The notice shall be served on the owner, occupier or person interested in the land,—

(a) Personally by delivering or tendering to him, or

(b) through his agent, if any by delivering or tendering it to the agent, or

(c) by affixing a copy thereof to some conspicuous place on the land to which it relates, or

(d) by post.

7. (1) Extent of enhancement of rent and conditions subject to which enhancement may be made under section 18.— The owner of any land included in a scheme in any area in which levy or rent payable by a tenant is regulated under any law for the time being in force may, after three years from the date on which the scheme comes into force under section 10 of the Act, enhance the rent payable by a tenant in receipt of such land by not more than 10 per cent. of the rent payable on the date on which the scheme comes into force.

(2) If any such owners desire to enhance the rent by more than the said 10 per cent, he shall apply in writing to the Administrator for the purpose.

(3) The Administrator shall forward any application recunder sub-rule (2) through the Collector, to the Mamlatdar, within whose jurisdiction the land in respect of which the enhancement of rent is to be made is situated, for inquiry and report on the increase in the profits of agriculture consequent on the carrying out of works on the land under the scheme.

(4) On receipt of an application under sub-rule (3), Mamlatdar shall after giving notice to the tenant of the land, hold an inquiry in accordance with the provisions of Chapter XII of Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 and make the required report through the Collector to the Administrator.

(5) On receipt of the report under sub-rule (4), Administrator shall determine the extent of enhancement of rent which may be allowed and communicate its decision to the applicant.

8. Manner in which documents plans and maps relating to a scheme which has come into force shall be accessible to the public under section 19.—Documents, plans and maps relating to a scheme which has come into force shall be open for public inspection at the office of the Mamlatdor concerned at any time during office hours. Certified copies thereof shall be supplied on payment of the fees for certified copies prescribed in Chapter XVI of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Rules, 1972.

9. Manner of publication of scheme under section 25-A.—On a scheme being approved under sub-section (3) of section 25A of the Act, the Board shall publish it in the Official Gazette and in such local newspapers, if any as it may decide and by affixing notices in Form V in English as well as in Gujarati at conspicuous places in the villages affected by the scheme.

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

(1942 Bom, XXVIII)

FORM NO. 1

(See Rule 3)

Notice of publication of draft scheme

Notice of publication is hereby given of the scheme prepared in accordance with the provisions of section 4 of the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 as in force in the state of Gujarat and extended to Dadra and Nagar Haveli.

Providing* for the land described below and situate in the village of————————in the UT of Dadra and Nagar Haveli.

Survey number and other description of lands	Nature of works to be carried out

All persons affected by the scheme who wish to make any claims or to submit any objections to the said scheme should do so in writing or by appearing personally before———— who has been appointed as Inquiry Officer for the scheme on or before**

at

dated the day of 19

(Signed)

Secretary of the Board

*Description of scheme

**Date not later than 21 days of publication of the scheme in the Gazette of India.

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

(1942 : Bom. XXVIII)

FORM NO. II

(See rule 4)

Notice of the publication of the Scheme

Notice is hereby given that the scheme providing for* the lands described below and situate at the village of———— ————————in the UT of Dadra and Nagar Haveli has been sanctioned by the Board/Administrator under sub-section (1) of section 9 of the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 as in force in the State of Gujarat and extended to Dadra and Nagar Haveli.

The Board has appointed————————to execute it under sub-section (1) of section 11 of the said Act.

Description of lands	Works to be carried out

Secretary of the Board.

*Description of scheme

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

(1942 : Bom. XXVIII)

FORM No. III

(See rule. 5)

Serial No. Rs. np.

Total cost recoverable :

Total annual instalments:

Total cost of work done:

Village:

District:UT of Dadra aud Nagar Haveli.

Sl. No.	Survey No. and or Sub-Division No.	Area	Assessment	Nature of work done		
				Number of bunds	Number of trenches	Number of waste weirs
1	2	3	4	5	6	7

Total amount to be recovered from owner	Period of survey	Year from which recovery should begin	Annual instalment	Person or persons liable to maintain and repair work individually or jointly.
8	9	10	11	12

*Serial No. of entry in the mutation register (Village Form No. VI) and date of certification of the entry.	Remarks
13	14

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

(1942 : Bom. XXVIII)

FORM No. IV

[See rule 6(1)]

Form of notice of entry upon land to be given to—
Owners of.....
Occupiers of .....land under section 16.....
Other persons interested in.

To

A. B. Esquire

Owner of.....
Occupier of.....
Mortgagee.....

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

(1942 : Bom. XXVIII)

Permanent tenant.....

or other persons interested in.....

S. No.———————

Hissa No.———————

C.T.S. No.———————

Gaothan Plot No.———————

of village———————in the UT of Dadra and Nagar Haveli.
Notice is hereby given that I,
being duly authorized under section 16 of the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942.

by the Board constituted under section 3 thereof
Collector of

to enter upon and survey and mark out the land and do all acts necessary for the purpose of preparing, sanctioning and executing a/the scheme or repairing or maintaining any works under a/the scheme, under the said Act, intend to enter upon the land in the above, mentioned.

S. No.———————

Hissa No.———————

C.T.S. No.———————

Gaothan Plot No.———————
for the said purpose at

day of 19 on or after dated

Person authorized by Board under section 16 of the said Act. Collector.

BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942 AS IN FORCE IN THE STATE OF GUJARAT AND EXTENDED TO DADRA AND NAGAR HAVELI

FORM No. V

(See rule 9)

Notice of publication of the scheme under section 25-A(3)

Notice is hereby given that the scheme providing for* the lands described below and situate at the village of———

————————in the UT of Dadra and Nagar Haveli, has been approved by the Board under sub-section (3) of Section 25-A of the Bombay Land Improvement Scheme Act, 1942 and shall come into force on the date of publication of this notice in the said village.

The Board has appointed———— ————to execute it under sub-section (1) of Section 11 read with sub-section (3) of section 25-A of the said Act.

S.No.	Survey Nos. and other description of lands	Works to be carried out
1	2	3

Place
dated the day of 19

Secretary to the Board

*Here give the description of the scheme whether for preservation and improvement of soil or for prevention of erosion of soil or for any other matter specified in section 4(1).

By Order of the Administrator,

S. S. KOLVEKAR, Secy.
to the Administrator

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984